प्रेस विज्ञप्ति

06.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स विवेकानंद बीएचईएल एम्प्लॉई म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारियों और अन्य से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 16.35 करोड़ रुपये मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां बिल्डर मेसर्स त्रिभा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व पी. गोवर्धन रेड्डी कर रहे हैं) और मेसर्स विवेकानंद बीएचईएल एम्प्लॉईज मैक हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष डी. श्रीनिवास राव के नाम पर पंजीकृत खुली जमीन के रूप में हैं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (धारा 420 और 120-बी सहित) और तेलंगाना जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन रामचंद्रपुरम, साइबरबाद द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। मुथांगी गांव में एक आवास परियोजना के लिए जमा की गई धनराशि में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जमा राशि का गबन और दुरुपयोग के आरोप में आवास सोसायटी के सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई थीं। पुलिस ने 1 जुलाई 2025 को आवास सोसायटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और निदेशकों के साथ-साथ बिल्डर के खिलाफ सोसायटी की धनराशि का गबन करने और उससे संबंधित अवैध लाभ स्वयं लेने के आरोप में चार्जशीट दायर की।

ईडी की जांच में पता चला कि सोसाइटी ने अपने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य शासी निकाय सदस्यों के माध्यम से 316 सदस्यों से आवासीय भूखंडों के आवंटन और मकानों के निर्माण के लिए लगभग 18.09 करोड़ रुपये एकत्र किए। हालांकि, निर्धारित उद्देश्य के लिए धनराशि का उपयोग करने के बजाय, पदाधिकारियों ने बिल्डर मेसर्स त्रिभा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जमा राशि का गबन किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सोसाइटी के बैंक खाते से बिल्डर और अन्य संस्थाओं के व्यक्तिगत खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई, जिसमें स्वयं के चेक के माध्यम से निकासी और नकदी जुटाने के लिए कई तृतीय-पक्ष फर्मों के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण शामिल है। गबन की गई धनराशि का उपयोग भूमि पार्सल की खरीद के लिए किया गया, जिसे धोखाधड़ी से सोसाइटी के नाम पर पंजीकृत करने के बजाय बिल्डर और अध्यक्ष के नाम पर पंजीकृत किया गया। पीएमएलए की जांच में पता चला कि इस मामले में लगभग 17.31 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की गई।

आगे की जांच जारी है।